

भारत गणतंत्र सरकार और डांग कांग सरकार के वीच डवाई सेवा करार

भारत गणतंत्र सरकार और हांग कांग सरकार,

आपसी नागर विमानन संबंधों को बढ़ावा देने और हांग कांग तथा भारत के बीच हवाई सेवाओं के विकास के प्रयोजन के लिए एक करार करने की ऋहा से ,

निम्नलिखित के संबंध में सहमत हुए हैं:

अनुच्छ्रेद-1 परिमापा

जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार के प्रयोजन के लिए:

शकश "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय, भारत गणतंत्र सरकार के मामले में नागर विमानन महानिदेशक और हांग कांग सरकार के मामले में नागर विमानन निदेशक अथवा, दोनों मामलों में, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था से है, जिसे इस समय उक्त प्राधिकारियों दारा किये जाने वाले या इसी तरह के कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

्रेख् "नामित विमानकंपनी" पद का आशय ऐसी विमानकंपनी से है जिसे इस करार के अनुस्केद −4 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया है ,

१ग होंग कोंग के संबंध में, "भू-भाग" पद में होंग कोंग दीप, कालून तथा नये



क्षेत्र शामिल हैं, तथा भारत के संबंध में, इसका अर्थ वही होगा जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुच्छेद-2 में "राज्यक्षेत्र" का निश्चित किया गया है,

्रध् "हवाई सेवा", "अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा", "विमानकंपनी" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए स्कना" पदों का अर्थ क्रमशः वही होगा जो उक्त अमिसमय के अनुस्केद 96 में निश्चित किया गया है।

्ड∙् "इस करार " पद में इसका अनुबंध और इसमें या इस करार में किये गये कोई भी संशोधन शामिल है।

अनुच्छेद-2 जंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाजों पर लागू शिकागो अभिसमय के उपबंध

इस करार का कार्यान्वयन करते हुये, संविद्यकारी पक्ष 7 दिसम्बर, 1944 की शिकागों में इस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के उपवंधों तथा अनुवंधों और अभिसमय अथवा उसके अनुवंधों में किये गए किन्हीं भी संशोधनों के अनुरूप कार्य करेंगे, जो दोनों संविद्यकारी पक्षों पर लागू होते हैं, जहां तक वे उपवंध अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू हों।

अनुत्छेद-3 यातायात अधिकारों की मंजूरी

- प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को उसकी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में निम्नीलिखित अधिकार मंजूर करता है :
 - ≬क≬ बिना उतरे उसके भू-भाग से होकर उड्ने का अधिकार,
 - ईख∛ यातायात से मिन्न प्रयोजनों के लिए उसके मू-भाग में रूकने का अधिकार ।



- प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के अनुबंध के उपयुक्त खंड में निर्दिष्ट मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजन के लिए इस करार में एतत्पश्चात् निर्दिष्ट अधिकार मंजूर करता है। ऐसी सेवाओं तथा मार्गों को एतत्पश्चात् कमशः "सम्मत सेवाएं" और "निर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों को निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवाएं प्रचालित करते समय, इस अनुब्छेद के पैराग्राफ \$1\$ में निर्दिष्ट अधिकारों के साध-साध, यात्रियों और कार्गों तथा डाक, अलग से या एक साध उतारने और चढ़ाने के प्रयोजन के लिए इस करार के अनुबंध के अनुसार उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट स्थलों पर दूसरे सिवदाकारी पक्ष के क्षेत्र में स्कने का अधिकार होगा ।
- उस अनुष्ठेद के पैराग्राफ १2 में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जायेगा कि किसी भी एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किसी एक स्थल से, किराये या प्रतिफल हेतु उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किसी अन्य स्थल को जाने वाले यात्री और कार्गी तथा डाक विमान में ले जाने का अधिकार मिल गया है।

अनुच्छेद-4 विमानकम्पनियों को नामित और प्राधिकृत करना

- प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, निर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने हेतु एक या अधिक विमानकम्पनियां नामित करने या ऐसे नामांकन वापस लेने अथवा उन्हें बदलने का अधिकार होगा, जिसके बारे में लिखित रूप में दूसरे संविदाकारी पक्ष को सूचित करना होगा ।
- 2. ऐसा नामांकन प्राप्त हो जाने के बाद, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुष्ठेद के पैरा § 3 और § 4 है के उपबंधों के अधीन रहते हुए नामित विमानकंपनी या कंपनियों की विना विलंब के उपयुक्त प्रचालन संबंधी प्राधिकार मंजूर करेगा ।
- 3 ईक ई डांग कांग सरकार को, ऐसे किसी भी मामले में, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ई 2 ई में निर्दिष्ट प्रचालन प्राधिकार मंजूर नहीं करने अथवा किसी भी नामित विमानकम्पनी दारा इस करार के अनुच्छेद 3 ई 2 ई में निर्दिष्ट उन अधिकारों का प्रयोग किए जाने की



बाबत यथावश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जहां उसे यह संतोष न हो कि उस विमानकम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारत गणतंत्र सरकार या इसके राष्ट्रिकों में निहित है ।

- उईलाई भारत गणतंत्र सरकार को, ऐसे किसी भी मामले में, इस अनुन्छेद के पैराग्राफ ई2ई में निर्दिष्ट प्रचालन प्राधिकार मंजूर नहीं करने अथवा किसी भी नामित विमानकम्पनी दारा इस करार के अनुन्छेद उई2ई में निर्दिष्ट उन अधिकारों के प्रयोग किए जाने की बाबत यथावश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा, जहां उसे यह संतोष न हो कि विमानकम्पनी निगमित की गई है और इसके व्यवसाय का मुख्य स्थल हांग कांग में है ।
- 4 एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा नामित विमानकंपनी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे उन्हें आश्वस्त करें कि वे उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के लिए अईता प्राप्त हैं जो ऐसे प्राधिकारियों दारा सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन पर लागू किए जाते हैं ।
- उब एक विमानकंपनी इस प्रकार से नामित और प्राधिकृत की जाती है तो यह सम्मत सेवाओं का प्रचालन शुरू कर सकती है वशर्ते कि विमानकंपनी इस करार के स्वीकार्य उपवंधों को पूरा करती है ।

अनुष्ठेद-5 प्रचालन प्राधिकार के प्रतिसंहत करना अथवा रोक देना

§1 । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा नामित विमानकंपनी को, इस करार के अनुस्केद 3 № 2 । में निर्दिष्ट प्रचालन प्राधिकार प्रतिसंहत करने या अधिकारों का प्रयोग रोक देने अथवा ऐसी शर्ते लगाने का अधिकार होगा जो वह इन अधिकारों के प्रयोग पर लगाना आवश्यक समझे :

१क ११ हांग कांग सरकार के संबंध में, किसी भी मामले में, जहां उसे यह संतोध न हो कि उस विमानकंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारत गणतंत्र



सरकार या उसके राष्ट्रिकों में निहित है .

श्वा भारत गणतंत्र सरकार के संबंध में, किसी भी मामले में, जहां उसे यह संतोष न
 हो कि विमानकंपनी निगमित की गई है और इसके व्यवसाय का मुख्य स्थल
 हांग कांग है, या

१सं ऐसे अधिकार देने वाले सीवदाकारी पक्ष के कानूनों या विनियमों के अनुपालन में उस विमानकंपनी के विफल रहने की स्थिति में, या

हैगह यदि वह विमानकंपनी अन्यथा इस करार के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रचालन में असफ्ल रहती है ।

§ 2 कानूनों और विनियमों का और आगे उल्लंघन रोकने के लिये, जब तक इस अनुष्ठेद के पैराग्राफ § 1 है में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार का तत्काल प्रतिसंहरण या निलम्बन अधवा उसमें शर्तों का आरोपण अनिवार्य न हो, ऐसे अधिकार का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष के साध विचार विमर्श करने के बाद ही किया जाएगा ।

अनुच्छेद-6 सम्मत सेवाओं के प्रचातन को नियंत्रित करने के सिदान्त

- १1 किर्दिष्ट मार्गो पर, सम्मत सेवाओं के प्रचालन में दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों को उचित और समान अवसर मिलेंगे ।
- **§ 3 ६ सोंवेदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों दारा उपल**व्य कराई जाने वाली सम्मत



सेवाओं का निर्दिष्ट मार्गो पर परिवहन के लिए जनता की आवश्यकताओं के साथ घनिष्ट संबंध होगा और उनका प्रमुख उद्देश्य समुचित भार गुणक के आधार पर ऐसी विमान क्षमता की ज्यवस्था करना होगा जो ऐसी विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से या उसमें स्थित किसी गंतव्य स्थल के लिये यात्रियों और कार्गो तथा डाक के वहन के लिये मौजूदा और उचित रूप से प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो । विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में स्थित स्थलों को छोड़कर, निर्दिष्ट मार्गो के स्थलों पर विमान में चढ़ाए और उतारे गए यात्रियों और कार्गो तथा डाक के वहन की व्यवस्था ऐसे सामान्य सिदान्तों के अनुसार की जारगी कि विमान क्षमता निम्निलिसित से संबंधित हो :

हैक विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के मू-भाग से और वहां तक के लिये यातायात संबंधी आवश्यकताएं ,

§स § उस भू-भाग में सम्मितित राज्यों की विमानकंपनियों दारा स्थापित अन्य हवाई सेवाओं को ध्यान में रसते हुये ,उस क्षेत्र की यातायात संबंधी आवश्यकताएं जिससे होकर सम्मत सेवा जाती है, और

१गई सीघे एयरलाइन प्रचालन संबंधी आवश्यकतारं ।

१४६ निर्दिष्ट मार्गो पर उपलब्ध कर्राई जाने वाली क्षमता संविदाकारी पक्षों दारा समय-समय पर संयुक्त रूप से निर्धारित क्षमता के अनुसार होगी ।

> अनुच्छेद-7 टेरिफ

∮1∮ "टैरिफ " शब्द का आशय निम्नलिखित में से एक या अधिक से हैं :

ईक है किसी विमानकंपनी दारा यात्रियों और उनके बैगेज के वहन के लिए अनुसूचित इवार्ड सेवाओं पर वसूल किया गया किराया तथा ऐसे वाहनों की अनुसंगी सेवाओं के



लिए प्रभार और शर्ते.

हस्स अनुसूचित हवाई सेवाओं पर कार्गो हडाक रहित के वहन के लिए किसी विमानकंपनी द्वारा प्रमारित दर,

§ग§ ऐसी शर्तें जो किसी भी किराये या दर और इससे संबंद किसी भी लाभ की सुलभता या प्रयोज्यता को नियंत्रित करती हों, और

हैंघ हैं अनुसूचित हवाई सेवाओं पर वहन के लिए किसी एजेंट दारा विकी की गई टिकटों या उस एजेंट दारा संपन्न किए गए विमान वे-विलों के संबंध में किसी विमानकंपनी दारा उस एजेंट को अदा की गई कमीशन की दर ।

\$2 इं एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी दारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से जयवा उसके भू-भाग के लिए वहन किए जाने के संबंध में लागू किया जाने वाला टैरिफ वही होगा जो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा अनुमोदित किया गया हो और इसे उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा, जिस बाबत सम्मत सेवाओं के प्रचालन की लागत, प्रयोग करने वालों के हितों, समुचित लाभ तथा उसी मार्ग के संपूर्ण या एक मारा पर प्रचालन कर रही अन्य विमान कंपनियों के टैरिफों सहित सभी संगत पहलुओं पर ध्यान दिया गया हो।

\$3\$ इस अनुच्छेद के पैरा \$2\$ में उल्लिखित टैरिफ्नें पर, संविदाकारी पक्षों की, टैरिफ के अनुमोदन का अनुरोध करने वाली नामित विमानकंपनियों द्वारा सहमित हो सकेगी तथा जो ऐसे टैरिफ्नें के प्रस्ताव करने से पूर्व अन्य ऐसी विमानकंपनियों से परामर्श कर सकती हैं जो उसी मार्ग पर सम्पूर्ण या उसके किसी मार्ग पर प्रचालन कर रही हों । ऐसा समझौता उचित अंतरराष्ट्रिय किराया निर्धारण तरीके का प्रयोग करते हुए किया जा सकेगा । तथापि, कोई नामित विमानकंपनी न तो किसी टैरिफ का प्रस्ताव करने और न ही संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी उसका अनुमोदन करने के लिए प्रतिवाधित होंगे, यदि उक्त विमानकंपनी ऐसे टैरिफ के लिए अन्य नामित विमानकंपनियों है साथ समझौता करने में असफल रहती है, या इसलिये कि कोई अन्य नामित विमानकंपनी उसी मार्ग पर प्रचालन नहीं कर रही हो । इस पैराग्राफ तथा इससे पूर्ववर्ती पैराग्राफ में "उसी मार्ग पर" का संदर्भ



प्रचालित मार्ग से है न कि निर्दिष्ट मार्ग से।

१४१ इस अनुरुष्टेद के पेरा १११ में उल्लिखित विवर्णों को उद्घाटित करने के लिए यथा अपेक्षित ऐसे प्रपन्न में टेरिफ का अनुमोदन प्राप्त करने वाली नामित विमानकंपनी दारा संगत वैमानिकी प्राधिकारियों के पास, एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी दारा प्रस्तावित कोई भी टेरिफ अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से अथवा उसके भू-भाग के लिए, वहन हेतु दायर किया जाएगा । इसे प्रस्तावित प्रभावी तारीस से कम से कम 60 दिन पूर्व थया ऐसी कम अवधि में जिसे संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमित से तय करें दायर किया जाएगा । प्रस्तावित टेरिफ, किसी संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास उस तारीस को दायर कर दिया गया माना जाएगा, जिस तारीस को वह उन वैमानिकी प्राधिकारियों को पास उस तारीस को दायर कर दिया गया माना जाएगा, जिस तारीस को वह उन वैमानिकी प्राधिकारियों को प्राप्त होता है ।

\$5 ई कोई भी प्रस्तावित टेरिफ किसी भी समय किसी भी संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा अनुमोदित किया जा सकता है, बश्चर्तें उसे इस अनुच्छेद के पैरा \$4 ई के अनुसार दायर किया गया हो, तथा उसे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा अनुमोदित समझा जाएगा यदि भेजने की तारीख के पश्चात तीस दिनों की अवधि के भीतर हैया ऐसी कम अवधि, में जिस पर संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी सहमत हों एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को प्रस्तावित टेरिफ से असहमति का लिखित नीटिस नहीं देता है।

\$6\$ यदि इस अनुच्छेद के पैरा \$5\$ के उपबंधों के अनुसार असहमित का नीटिस दिया जाता है तो सीवेदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी संयुक्त रूप से टेरिफ का निर्धारण कर सकेंगे । इस प्रयोजन के लिए , एक सीवेदाकारी पक्ष , असहमित का नीटिस प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सीवेदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के वीच परामर्श का अनुरोध कर सकता है, और जो दूसरे सीवेदाकारी पक्ष को लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा ।

१७१ यदि इस अनुच्छेद के पैरा १०१ के अनुसार किसी टैरिफ पर एक सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा असहमति प्रकट की जाती है और यदि इस अनुच्छेद के पैरा १६१ के अनुसार, सीवदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी संयुक्त रूप से टैरिफ का निर्धारण करने



-: 9 :-

में असफ्ल रहते हैं तो विवाद का निपयन इस करार के अनुस्केद 15 के उपवंधों के अनुसार किया जाएगा ।

- § 8 इस अनुत्केद के पैरा § 9 की शर्त के अधीन, इस अनुत्केद के उपबंधों के अनुसार
 निश्चित टेरिफ, तब तक लागू रहेगा जब तक कि नया टेरिफ निश्चित नहीं किया जाता है।
- \$9\$ दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ समझौते के सिवाय, और ऐसी अवधि तक जिसके लिए दोनों आपस में सहमत हों, इस अनुद्धेद के पैरा \$8\$ के उपवंधों के कारण टेरिफ की मान्यता अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा :-
- हक जड़ां टैरिफ की समान्ति की तारील हो, उक्त तारील के पश्चात 12 महीनों से अधिक की अवधि के लिए,
- हम जहां किसी टैरिफ की समान्ति तारीख नहीं हो, एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी दारा दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास दायर किये गये प्रतिस्थापित टैरिफ की तारीख के बाद 12 महीनों से अधिक की अविध के लिए।

अनुच्छेद-8 सीमा-शुक्क

११ एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर प्रचालित किये जा रहे विमान तथा ऐसे विमानों में रखे गए उनके नियमित उपस्कर, ईयन, स्नेडकों और प्रयोग्य तकनीकी आपूर्तियों, फालतू पुर्जों व इंजिनों और विमान मंडार को अजिनमें, खाय पदार्थ, पेय और तम्बाकू जैसी वस्तुएं भी सम्मिलित हैं, पस्तु इन तक सीमित नहीं। सभी प्रकार के सीमा-शुल्कों, उत्पाद-शुल्कों और इसी प्रकार की फीस तथा प्रभारों से, जो आगमन पर उपलब्ध कराई गई सेवाओं की लागत पर आधारित न हो, दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा पारस्परिक आधार पर छूट दी जायेगी वशर्ते ऐसे नियमित उपस्कर और ऐसी अन्य मदें विमान में ही रहें।



\$2\$ दूसरे संविदाकारी पक्ष के मू-भाग में उसके द्वारा अथवा उसकी और से उसकी नामित विमानकंपनी द्वारा लाए गए अथवा उस नामित विमानकंपनी द्वारा प्रचातित विमान पर लिए गए नियमित उपस्कर इंधन, स्नेडकों, प्रयोज्य तकनीकी आपूर्तियों, फालतू पूर्जों व इंजिनों, विमान मंडार को किनमें साध पदार्थ, पेय और तम्बाकू जैसी वस्तुएं सम्मितित हैं, पस्नु इन तक सीमित नहीं दूसरे सीवदाकारी पक्ष दरा पारस्परिक आधार पर सभी सीमा-शुल्कों, उत्पाद-शुल्कों और इसी प्रकार की फीस तथा प्रभारों से, जो आगमन पर उपलब्ध कराई गई सेवाओं की लागत पर आधारित न हो, छूट दी जाएगी, चाहे ऐसे नियमित उपस्कर और ऐसी अन्य वस्तुएं दूसरे सीवदाकारी पक्ष के मू-भाग पर की गई यात्रा के किसी हिस्से पर प्रयोग में लायी जानी हों।

\$3\$ इस अनुच्छेद के पैरा \$1\$ और \$2\$ में उत्तिसित नियमित उपस्कर और अन्य मदों को दूसरे सीवदाकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण या नियंत्रण में रखा जाना अपेक्षित हो सकता है ।

१४१ इस अनुष्ठेद के पैरा १1१ में उत्लिखित नियमित उपस्कर और अन्य वस्तुएं दूसरे सीवदाकारी पक्ष के क्षेत्र में उस सीवदाकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारी जा सकती हैं। इन परिस्थितियों में, ऐसे नियमित उपस्करों और ऐसी वस्तुओं पर पारस्परिक आधार पर इस अनुष्ठेद के पैरा १1१ में उपलब्ध छूट तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि उन्हें पुनः निर्यात नहीं कर लिया जाता अथवा उनका सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार अन्यधा निपयन नहीं कर दिया जाता। तथापि, उस दूसरे सीवदाकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारी ऐसे नियमित उपस्कर और ऐसी वस्तुओं को ऐसे समय तक अपने पर्यविक्षण में रखने की अपेक्षा कर सकते हैं।

\$5 इस अनुष्छेद के अंतर्गत दी गई छूट, उन स्थितयों में भी उपलब्ध होगी जहां एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी ने ऐसी दूसरी विमानकंपनी अथवा कंपनियों के साथ दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, इस अनुष्छेद के पैरा 1 और \$2 में उल्लिखत नियमित उपस्कर और अन्य वस्तुओं को उधार या हस्तांतरण पर लेने के लिए समझौता कर लिया हो, वशर्ते कि ऐसी दूसरी विमानकंपनी अथवा कंपनियों को उस दूसरे संविदाकारी पक्ष से ऐसी ही छूट मिली हुई हो ।



§ 6 ∮ एक सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग में सीधे पारगमन वाले बैगेज और कार्गो ऐसे सीमाशुक्कों, उत्पाद शुक्कों व इसी प्रकार के शुक्कों और प्रभारों से, जो आगमन पर उपलब्ध
सेवाओं की लागत पर आधारित न हो, मुक्त रहेंगे ।

अनुच्छेद-9 विमानन सुरक्षा

ई1 ई दोनों संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी इस्तक्षेप की कार्रवाइयों से नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष 14 सितंबर,1963 को टेक्यो में इस्ताक्षरित विमान में उद्दान के समय किए गए अपरायों और कुछ अन्य कार्रवाईयों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में इस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारण हेतु अभिसमय और 23 सितंबर, 1971 को मांट्रियल में इस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा विधि विस्द गैर-कानूनी कार्रवाई दमन हेतु अभिसमय के नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुस्प विशेष स्प से कार्रवाई करेगा ।

§ 3 दोनों संविदाकारी पक्ष, अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दारा स्थापित और 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में इस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अमिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित लागू विमानन सुख्ता उपवंधों के अनुरूप कार्य करेंगे । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों से, जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थल अथवा स्थाई निवास उसके भू-भाग में है, तथा उसके भू-भाग में हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेगा कि वे इन विमानन सुख्ता उपवंधों के अनुरूप कार्य करें।



\$5 इं जब कभी किसी सिवित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण की या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों अयवा हवाई दिक्वालन सुविधाओं की सुरक्षा के विस्त कोई गैर-कानूनी कार्रवाईयों की घटना अथवा इस प्रकार की घटना का खतरा हो तो संविदाकारी पक्ष इस प्रकार की घटना अथवा उसके खतरे को तुरंत तथा सुरक्षित ढंग से समाप्त करने के लिए एक दूसरे को संचार सुविधार प्रदान करके और अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

अनुच्छेद-10 प्रचलन सुचना का प्राक्यान

पक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमानकंपनी कंपनियों से अपेक्षा करेंगे कि वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, जितनी जत्दी संमव हो सके, सम्मत सेवाओं के आरंभ से पूर्व, सेवा की किस्म, प्रयोग में लाए जाने वाले विमान के प्रकार, उद्दान अनुसूचियों, टैरिफ अनुसूचियों और सम्मत सेवाओं के प्रचालन से संबंधित कोई भी अन्य सूचना देंगी और ऐसी सूचना भी देंगी जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को इस बावत संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित हों कि वर्तमान करार की सभी अपेक्षाओं का विधिवत पालन किया जा रहा है । इस अनुच्छेद की अपेक्षाएं, सम्मत सेवाओं से संबंधित किन्हीं भी परिवर्तनों पर इसी तरह लागू होंगी ।



अनुच्छेद-11 आंक्ड्रों की व्यवस्था

किसी भी संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, अपनी नामित विमानकंपनी क्षंपनियों से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-माग को और वहां से, प्रत्येक मास के दौरान सम्मत सेवाओं पर वहन किए गए यातायात से संबंधित आंकड़े, जिनमें उन यात्रियों के विमान में सवार होने और उतरने के स्थलों को दिसाया गया हो, तथा कोई अन्य संगत सूचना जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगी । ऐसे आंकड़े प्रत्येक मास की समान्ति के उपरान्त यथासंभव शीच प्रस्तुत किये जारंगे ।

अनुच्छेद-12 राजस्व का परिवर्तन और प्रेमण

- ई1ई भारत दारा समान रूप से लागू किये जाने वाले विदेशी मुद्रा विनियमों के तहत ही हांग कांग की नामित विमानकंपनियों को स्थानीय आधार पर व्यय किए गए धन के अलावा शेष राजस्व को परिवर्तित करने तथा भारत से हांग कांग भेजने का अधिकार होगा।
- \$2\$ भारत की नामित विमानकंपनियों को, वहां स्थानीय आधार पर किए गए व्यय के उपरान्त बचे स्थानीय राजस्व को परिवर्तित करने और हांग कांग से भारत भेजने का अधिकार होगा ।
- \$3\$ ऐसे राजस्वों का परिवर्तन और प्रेषण मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में होगा और चालू कारोबार पर लागू विनिमय दर पर, जो परिवर्तन तथा मेजने के समय ऐसे राजस्वों पर प्रभावी हो, किए जाने की अनुमति होगी तथा जो प्रभार सामान्यतः वैंकों दारा वसूल किए जाते हैं, उन्हें छोड़कर ऐसे परिवर्तन और प्रेषण के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा ।



अनुद्धेद-13 विमानकंपनियों का प्रतिनिधित्व और विक्री

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों को :

- ्क इसरे सीवेदाकारी पक्ष के भू-भाग में, उसके यहां प्रवेश, आवास और रोजगार सम्बन्धी कानूनों और विनियमों के अनुसार, अपने प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी, प्रचालनात्मक और अन्य विशेषज्ञ स्वष्य को, जिसकी आवश्यकता हवाई परिवहन की व्यवस्था के लिये हो, उस भू-भाग में लाने और वहीं रखने का अधिकार होगा।
- ईख दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सीधे या एजेंदों के माध्यम से हवाई परिवहन की विकी करने का अधिकार होगा । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों के अंतर्गत यदि अनुमत्य हो, उसकी स्थानीय मुद्रा में, या किसी अन्य खुली परिवर्तनीय मुद्रा में, ऐसे हवाई परिवहन की विकी का अधिकार होगा और किसी भी व्यक्ति को इसे क्य करने की छूट होगी ।

अनुच्छेद-14 प्रयोक्ता प्रमार

- १1 है " प्रयोक्ता प्रभार " पद का अर्थ है ऐसा शुल्क जो सक्षम प्राधिकारियों दारा विमानकम्पनियों से लिया जाता है या जो विमान, उसके कर्मीदल, यात्रियों और कार्गों से संबंधित सेवाओं और सुविधाओं सहित हवाई अड्डा संपत्ति या सुविधाओं या हवाई दिक्वालन साधनों की व्यवस्था हेतु लिये जाने की अनुमति दी जाती है ।
- \$2\$ कोई भी संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों से प्रयोक्ता प्रभार उससे अधिक वसूल नहीं करेगा अधवा वसूल किए जाने की अनुमति देगा जो कि ऐसी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं का प्रचालन कर रही उसकी स्वयं की विमानकम्पनियों से वसूल किया जाता है।



\$3\$ प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष, प्रभार वसूल करने वाले सक्षम प्राधिकारियों और विमानकंपनियों के बीच, जहां भी व्यवहार्य हो, विमानकंपनियों के प्रतिनिध संगठनों के माध्यम से ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों के बारे में परामर्श को प्रोत्साहित करेगा जो कि प्रभार वसूल करने वाले प्राधिकारियों दारा प्रदत्त सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करते हैं । ऐसे उपयोगकर्ताओं को इन प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन संबंधी किसी भी प्रस्ताव के लिए समुचित नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे परिवर्तन करने से पहले वे अपने विचार व्यक्त कर सकें, पस्तु प्रयोक्ता प्रभारों के संबंध में किसी भी संविदाकारी पक्ष के प्रभार वसूल करने वाले सक्षम प्राधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा ।

§ 4 § इसके अलावा, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, प्रमार वसूल करने वाले अपने सक्षम
प्राधिकारियों और ऐसे उपयोगकर्ताओं की प्रयोक्ता प्रभारों से संबंधित उपयुक्त सूचना का आदानप्रदान करने के लिये और आगे प्रोत्साहित करेगा ।

अनुच्छेद-15 परामर्श

\$1 होनों में से कोई संविदाकारी पक्ष इस करार के निर्वचन, कार्यान्वयन, लागू करने या इसमें संशोधन के बारे में किसी भी समय परामर्श के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श जो कि संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच या स्वयं संविदाकारी पक्षों के बीच हो सकता है, उस तारील से, जिसको ऐसा लिखित अनुरोध दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्राप्त हो, 60 दिन के मीतर शुरू होगा, बशर्ते कि संविदाकारी पक्षों द्वारा अन्यधा सहमति न की गई हो।



अनुच्छेद-16 संशोधन

सीवदाकारी पक्षों की सहमति से इस करार में कोई भी संशोधन उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को इसकी सीवदाकारी पक्षों द्वारा लिखित रूप से पुष्टि की जाएगी।

अनुस्केद-17 समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार को समाप्त करने हेतु अपने निर्णय का दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है। यह करार, दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा ऐसा नोटिस प्राप्त करने की तारीख़ की प्रथम वर्षगांठ से तत्काल पूर्व अर्द-रात्रि को ईनोटिस प्राप्त के स्थल पर समाप्त हो जाएगा, वशर्ते कि इस अविध की समाप्ति से पूर्व ही सहमति से इस नोटिस को वापस न ले लिया जाए।

अनुच्छेद-18 अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकरण

यह करार और इसमें कोई भी संशोधन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साध पंजीकृत किया जाएगा।

अनुच्छेद-19 प्रवर्तन

यह करार इस्ताक्षर की तारीख को प्रवर्तन में आयेगा।

इसके साक्ष्य में, निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं ने, अपनी-अपनी सरकारों दारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किये जाने पर, इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

दिनांक 10 अबनूबर, 1996 को होता कारत में, हिन्दी और अंग्रेजी



भाषाओं में दो प्रतियों में इस्ताक्षर किये गए जिनमें से दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

मारत गणतंत्र सरकार की और से

हांग कांग सरकार की ओर से



अनुबंघ

मार्ग अनुसूची

बंड - 1

हांग कांग की नामित विमानकंपनी या विमानकंपनियों द्वारा प्रचातित किये जाने वाले मार्ग :-

हांग कांग - मध्यवर्ती स्थल - भारत के स्थल - परे के स्थल

टिपांगयां

- उत्पर निर्दिष्ट मार्गों पर जिन स्थलों के लिये उड़ानें की जानी है, वे संविदाकारी पक्षों दारा संयुक्त रूप से निर्धारित किये जाने हैं।
- 2. हांग कांग की नामित विमानकंपनी या विमानकंपनियां एक या सभी उड़ानों पर, उत्पर निर्दिष्ट मार्गों पर किसी भी स्थल को छोड़ सकती हैं, और किसी भी कम में उनके लिये प्रचालन कर सकती हैं वशर्ते कि इन मार्गों पर सम्मत सेवाएं हांग कांग से शुरू हों।
- उन तक कि संविदाकारी पक्षों दारा समय-समय पर संयुक्त रूप से निर्धारित न हो, न किसी मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल से विमान में कोई यातायात लिया जाये और भारत के किसी स्थल पर उतारा जाये अथवा न भारत के किसी स्थल से विमान में कोई यातायात लिया जाये और किसी मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल पर उतारा जाये । यह प्रतिबंध सभी प्रकार के मध्य विश्राम यातायात पर भी लागू होता है ।
- 4. चीन की मुख्य-भूमि के किसी भी स्थल के लिये मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल के रूप में प्रचालन नहीं किया जाए ।



संड - 2

भारत गणतंत्र की नामित विमानकंपनी या विमानकंपनियों दारा प्रचालित किये जाने वाले मार्ग :

भारत के स्थल - मध्यवर्ती स्थल - डांग कांग - परे के स्थल

टिपणियां

- उत्पर निर्दिष्ट मार्गो पर जिन स्थलों के लिए उड़ानें की जानी हैं वे सीवेदाकारी पक्षों दारा संयुक्त रूप से निर्धारित किये जाने हैं ।
- भारत गणतंत्र की नामित विमानकंपनी या विमानकंपनियां एक या सभी उड़ानों पर, उत्पर निर्दिष्ट मार्गों पर किसी भी स्थल को छोड़ सकती हैं और किसी भी कम में उनके लिये प्रचालन कर सकती हैं वशर्ते कि इन मार्गों पर सम्मत सेवाएं भारत के किसी स्थल से शुरू हों।
- उ॰ जब तक कि संविदाकारी पक्षों दारा समय-समय पर संयुक्त रूप से निर्धारित न हो, न किसी मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल से विमान में कोई यातायात लिया जाए और हांग कांग में उतारा जाए अथवा न हांग कांग से विमान में कोई यातायात लिया जाए और किसी मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल पर उतारा जाए । यह प्रतिबंध सभी प्रकार के मध्य विश्राम यातायात पर भी लागू होता है ।
- बीन की मुख्य-भूमि के किसी भी स्थल के लिये मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल के
 रूप में प्रचालन नहीं किया जाएगा ।



AIR SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF HONG KONG

The Government of the Republic of India and the Government of Hong Kong,

Desiring to promote their Civil Aviation relations and to conclude an Agreement for the purpose of developing air services between Hong Kong and India,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- "aeronautical authorities" (a) the term means in the case of the Government of Hong Kong, the Director of Civil Aviation, and in the case of the Government of the Republic of India, General Civil the Director of Aviation, or, in both cases, person or body authorised to perform any functions at present exercisable by the above-mentioned authorities or similar functions;
- (b) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement;

- c) the term "area" in relation to Hong Kong includes Hong Kong Island, Kowloon and the New Territories and in relation to India has the meaning assigned to "territory" in Article 2 of the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944;
- (d) the terms "air service",
 "international air service",
 "airline" and "stop for non-traffic
 purposes" have the meanings
 respectively assigned to them in
 Article 96 of the said Convention;
- (e) the term "this Agreement" includes the Annex hereto and any amendments to it or to this Agreement.

ARTICLE 2

Provisions of the Chicago Convention Applicable to International Air Services.

In implementing this Agreement, the Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944, including the Annexes and any amendments to the Convention or to its Annexes which apply to both Contracting Parties, insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of Rights

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its international air services:



-: 3 :-

- (a) the right to fly across its area without landing;
- (b) the right to make stops in its area for non-traffic purposes.
- Contracting | Party grants to the other Each Contracting Party the rights hereinafter specified of operating Agreement for the purpose international air services on the routes specified in Section of the Annex to this appropriate Such services and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively. While operating an agreed service on a specified route the designated airlines of each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph (1) of this Article the right to make stops in the area of the other Contracting Party at points determined for that route in accordance with the Annex to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers cargo, including mail, separately or in combination.
- (3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party the right to take on board, at one point in the area of the other Contracting Party, passengers and cargo, including mail, carried for hire or reward and destined for another point in the area of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of and Authorisation of Airlines

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes and to withdraw or alter such designations.



- (2) On receipt of such a designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs(3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline or airlines designated the appropriate operating authorisations.
- (3) (a) The Government of Hong Kong shall have the right to refuse to grant the operating authorisations referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3(2) of this Agreement, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Government of the Republic of India or its nationals.
 - (b) The Government of Republic of India shall have the right to refuse to grant the operating authorisations referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3(2) of this Agreement, in any case where it is not satisfied that that airline is incorporated and has its principal place of business in Hong Kong.
- (4) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by such authorities.
- (5) When an airline has been so designated and authorised it may begin to operate the agreed servics, provided that the airline complies, with the applicable provisions of this Agreement.



†: 5 :-

ARTICLE 5

Revocation or Suspension of Operating Authorisation

- (1) Each Contracting Party shall have the right to revoke or suspend an operating authorisation for the exercise of the rights specified in Article 3(2) of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of those rights:
- (a) (i) in the case of the Government of Hong
 Kong, in any case where it is not
 satisfied that substantial ownership
 and effective control of that airline
 are vested in the Government of the
 Republic of India or its nationals;
 - (ii) in the case of the Government of the Republic of India, in any case where it is not satisfied that that airline is incorporated and has its principal place of business in Hong Kong; or
- (b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those rights; or
- (c) if that airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.
- (2) Unless immediate revocation or suspension of the operating authorisation mentioned in paragraph (1) of this Article or imposition of the conditions therein is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.



-: 6 :-

ARTICLE 6

Principles Governing operation of Agreed Services

- (1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of the to operate the agreed services on the specified routes.
- (2) In operating the agreed services the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contrating Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or part of the same routes.
- provided services by The agreed of the Contracting Parties shall designated airlines bear a close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision at a reasonable load factor of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo, including originating in or destined for the area of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers and cargo, including mail, both taken on board and discharged at points on the specified routes other than points in the area of the Contracting Party which designated the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:
- traffic requirements to and from the area of the Contracting Party which has designated the airline;
- (b) traffic requirements of the region through which the agreed service passes, taking account of other air services established by airlines of the States comprising that region; and



-: 7 :-

- (c) the requirements of through airline operation.
- (4) The capacity to be provided on the specified routes shall be such as is from time to time jointly determined by the Contracting Parties.

ARTICLE 7

Tariffs

- (1) The term "tariff" means one or more of the following:
 - (a) the fare charged by an airline for the carriage of passengers and their baggage on scheduled air services and the charges and conditions for services ancillary to such carriage;
 - (b) the rate charged by an airline for the carriage of cargo (excluding mail) on scheduled air services;
 - (c) the conditions governing the availability or applicability of any such fare or rate including any benefits attaching to it; and
 - (d) the rate of commission paid by an airline to an agent in respect of tickets sold or air way bills completed by that agent for carriage on scheduled air services.
- (2) The tariffs to be applied by a designated airline of one Contracting Party for carriage to and from the area of the other Contracting Party shall be those approved by the aeronautical authorities of both Contracting Parties and shall be established at reasonable levels, due regard being had to all relevant factors, including the cost of operating the agreed services, the interests of users, reasonable profit and the tariffs of other airlines operating over the whole or part of the same route.

- tariffs referred to in paragraph (2) of The this Article may be agreed by the designated airlines Contracting Parties seeking approval of the tariffs, which may consult other airlines operating over the whole or part of the same route, before the Such agreement may proposing such tarriffs. reached by use of the appropriate international rate However, a designated airline shall fixing mechanism. not be precluded from proposing, nor the aeronautical authorities of the Contracting Parties from approving, any tariff, if that airline shall have failed to obtain the agreement of the other designated airline(s) to such a tariff, or because no other designated airline is operating on the same route. References in this and the preceding paragraph to "the same route" are to the route operated, not the specified route.
- Any tariff proposed by a designated airline of one Contracting Party for carriage to and from the area of the other Contracting | Party shall be filed authorities by the aeronautical relevant designated airline seeking approval of the tariff such form as required to disclose the particulars referred to in paragraph (1) of this Article. shall be filed not less than 60 days (or such shorter as the aeronautical authorities of the period Contracting Parties may agree) before the proposed effective date. The proposed tarrif shall be treated as having been filed with the aeronautical authorities of a Contracting Party on the date on which it is received by those aeronautical authorities.
- Any proposed tariff may be approved by aeronautical authorities of a Contracting Party at any provided it has been filed in accordance with paragraph (4) of this Article, shall be deemed to have been approved by the aeronautical authorities of that Contracting Party unless, within 30 days (or such shorter period as the aeronautical authorities of the Contracting Parties may agree) after the date of authorities of aeronautical the filing, Contracting Party have served on the aeronautical authorities of the other Contracting Party written notice of disapproval of the proposed tariff.

-: 9 :-

- (6) If a notice of disapproval is given in accordance with the provisions of paragraph (5) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties may jointly determine the tariff. For this purpose, one Contracting Party may, within 30 days of the service of the notice of disapproval, request consultations between the aeronautical authorities of the Contracting Parties which shall be held within 30 days from the date the other Contracting Party receives such request in writing.
- (7) If a tariff has been disapproved by the aeronautical authorities of a Contracting Party in accordance with paragraph (5) of this Article, and if the aeronautical authorities of the Contracting Parties have been unable jointly to determine the tariff in accordance with paragraph (6) of this Article, the dispute may be settled in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement.
- (8) Subject to paragraph (9) of this Article, a tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain valid until a replacement tariff has been established.
- (9) Except with the agreement of the aeronautical authorities of both Contracting Parties, and for such period as they may agree, the validity of a tariff shall not be prolonged by virtue of paragraph (8) of this Article:
 - (a) where a tariff has a terminal date, for more than 12 months after that date;
 - (b) where a tariff has no terminal date, for more than 12 months after the date on which a replacement tariff is filed with the aeronautical authorities of the Contracting Parties by a designated airline of a Contracting Party.



-: 10 :-

ARTICLE 8

Customs Duties

- Aircraft operated in international services by the designated airlines of one Contracting Party, their regular equipment, fuel, lubricants, consumable technical supplies, spare parts including engines, and aircraft stores (including but limited to such items as food, beverages and tobacco) which are on board such aircraft shall be exempted by other Contracting Party on the basis of reciprocity from all customs duties, excise taxes and similar fees and charges not based on the cost of services provided on arrival, provided such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.
- Regular equipment, fuel, lubricants, consumable technical supplies, spare parts engines, aircraft stores (including but not limited to such items as food, beverages and tobacco), introduced into the area of the other Contracting Party by or on behalf of that designated airline or taken on the aircraft operated by that designated airline, shall be exempted by the other Contracting Party on the basis of reciprocity from all customs duties, excise taxes and similar fees and charges not based on the cost of services provided on arrival, even when such regular equipment and such other items are to be used on any part of a journey performed over the area of the other Contracting Party.
- (3) The regular equipment and the other items referred to in parapgraphs (1) and (2) of this Article may be required to be kept under the supervision or control of the customs authorities of the other Contracting Party.
- (4) The regular equipment and the other items referred to in paragraph (1) of this Article may be unloaded in the area of the other Contracting Party with the approval of the customs authorities of that



-: 11 :+

other Contracting Party. In these circumstances, such regular equipment and such items shall enjoy, on the basis of reciprocity, the exemptions provided for by paragraph (1) of this Article until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations. The customs authorities of that other Contracting Party may however require that such regular equipment and such items be placed under their supervision upto such time.

- (5) The exemptions provided for by this Article shall also be available in situations where a designated airline of one Contracting Party has entered into arrangements with another airline or airlines for the loan or transfer in the area of the other Contracting Party of the regular equipment and the other items referred to in paragraphs (1) & (2) of this Article, provided that that other airline or airlines similarly enjoy such exemptions from that other Contracting Party.
- (6) Baggage and cargo in direct transit across the area of a Contracting Party shall be exempt from Customs duties, excise taxes and similar fees and charges not based on the cost of services provided on arrival.

ARTICLE 9

Aviation Security

(1) Each Contracting Party reaffirms that its obligation to the other Contracting Party to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Each Contracting Party shall in particular act in conformity with the civil aviation security provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.



- (2) Each Contracting Party shall be provided at its request with all necessary assistance by the other Contracting Party to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilties, and any other threat to the security of civil aviation.
- Contracting Parties shall, in their The relations, act in conformity, with mutual applicable aviation security provisions established by International Civil Aviation Organization to the Convention designated as Annexes International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944. Each Contracting Party shall require that operators of aircraft of its registry or operators of aircraft having their principal place of business or permanent residence in its area, and the operators of airports in its area, conformity with such aviation security in provisions.
- Each Contracting Party agrees that such (4) operators of aircraft may be required to observe the civil aviation security provisions referred to of this Article required by the other paragraph (3) from, Contracting Party for entry into, departure while within the area of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within lits area protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and prior to and during boarding or aircraft stores prior to loading. sympathetic give Contracting Party shall; also consideration to request from the other any Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
- (5) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, each Contracting Party shall assist the other Contracting Party by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.



-: 113 :-

Article 10

Provision of Operating Information

The aeronautical authorities of one Contracting Party shall cause the designated airline(s) of that Contracting Party to communicate to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as far in advance as practicable, prior to the inauguration of the agreed services, the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules, tariff schedules, and any other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that the requirements of this Agreement are being duly observed. The requirements of this Article shall likewise apply to any changes concerning the agreed services.

ARTICLE 11

Provision of Statistics

The aeronautical authorities of one Contracting Party shall cause the designated airline(s) of that Contracting Party to furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on the agreed services to and from the area of the other Contracting Party, showing the points of embarkation and disembarkation of such traffic and any other relevant information required by the aeronautical authorities of the other Contracting Party. Such statistics shall be furnished as soon as possible after the end of each month.



-: 14 :-

ARTICLE 12

Conversion and Remittance of Revenue

- (1) Subject only to foreign currency regulations which may be imposed by India with uniform application, the designated airlines of Hong Kong shall have the right to convert and remit to Hong Kong from India local revenues in excess of sums locally disbursed.
- (2) The designated airlines of India shall have the right to convert and remit to India from Hong Kong local revenues in excess of sums locally disbursed.
- (3) The conversion and remittance of such revenues shall be in a freely convertible currency, shall be permitted at the rate of exchange applicable to current transactions which is in effect at the time such revenues are converted and remitted, and shall not be subject to any charges except those normally made by banks for carrying out such conversion and remittance.

ARTICLE 13

Airline Representation and Sales

The designated airlines of each Contracting Party shall have the right:

- (a) in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party relating to entry, residence and employment, to bring into and maintain in the area of that other Contracting Party those of their own managerial, administrative, technical, operational and other specialist staff who are required for the provision of air transportation.
- (b) in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party to engage in the sale of air transportation in the area of the other Contracting Party, either directly or through agents. The designated



-: 15 :-

airlines of each Contracting Party shall have the right to sell, and any person shall be free to purchase, such transportation in local currency, if permitted under the laws and regulations of the other Contracting Party, or in any freely convertible other currency.

ARTICLE 14

User Charges

- (1) The term "user charge" means a charge made to airlines by the competent authorities or permitted by them to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities, including related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo.
- (2) A Contracting Party shall not impose or permit to be imposed on the designated airlines of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating similar international air services.
- (3) Each Contracting Party shall encourage consultation on user charges between its competent charging authorities and airlines using the services and facilities provided by those charging authorities, where practicable through those airlines' representative organisations. Reasonable notice of any proposals for changes in user charges should be given to such users to enable them to express their views before changes are made, but the decision of the competent charging authorities of a Contracting Party in respect of user charges shall be final.
- (4) In addition, each Contracting Party shall further encourage its competent charging authorities and such users to exchange appropriate information concerning user charges.



-: 16 :|

ARTICLE 15

Consulation

- (1) Either Contracting Party may at any time request consultations on the interpretation, implementation, application or amendment of this Agreement. Such consultations, which may be between the aeronautical authorities of the Contracting Parties or the Contracting Parties themselves, shall begin within 60 days from the date the other Contracting Party receives such request in writing, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.
- (2) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall try to settle it by negotiation in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article.

ARTICLE 16

Amendment

Any amendments to this Agreement agreed by the Contracting Parties shall enter into force when confirmed in writing by the Contracting Parties.

ARTICLE 17

Termination

One Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. This Agreement shall terminate at midnight (at the place of receipt of the notice) immediately before the first anniversary of the date of receipt of such notice by that other Contracting Party, unless such notice is withdrawn by agreement before the end of this period.



-: 17 :-

ARTICLE 18

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any amendment thereto be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of signature.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, signed this Agreement.

Done, in duplicate at Hong Kong this loth day of October, 1996 in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic.

वीपका मानिका Sevull

For the Government of the Republic of India: 144

For the Government of Hong Kong



-: 18 :-

ANNEX

ROUTE SCHEDULE

Section 1

Routes to be operated by the designated airline or airlines of Hong Kong:

Hong Kong - intermediate points - points in India - points beyond.

Notes:

- The points to be served on the routes specified above are to be jointly determined by the Contracting Parties.
- 2. The designated airline or airlines of Hong Kong may on any or all flights omit calling at any points on the routes specified above, and may serve them in any order, provided that the agreed services on these routes begin at Hong Kong.
- 3. No traffic may be taken on board at an intermediate point or at a point beyond and discharged at a point in India or vice versa, except as may from time to time be jointly determined by the Contracting Parties. This restriction also applies to all forms of stopover traffic.
- 4. No point in the mainland of 'China' may be served as an intermediate point or a point beyond.



-: 19 :-

Section 2

Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Republic of India:

Points in India - intermediate points - Hong Kong points beyond.

Notes:

- The points to be served on the routes specified above are to be jointly determined by the Contracting Parties.
- 2. The designated airline or airlines of the Republic of India may on any or all flights omit calling at any points on the routes specified above, and may serve them in any order, provided that the agreed services on these routes begin at a point in India.
- 3. No traffic may be taken on board at an intermediate point or at a point beyond and discharged at Hong Kong or vice versa, except as may from time to time be jointly determined by the Contracting Parties. This restriction also applies to all forms of stopover traffic.
- No point in the mainland of China may be served as an intermediate point or a point beyond.

~~~##~~